

विज्ञप्ति

दिनांक

प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग अनुभाग-3 उ०१० शासन के शासनादेश सं०-६०/६०-२०१८-१३(सा०)/१७ दिनांक ०४.०४.२०१८ एवं शासनादेश संख्या ८८४/६०-३-२०१८-१३(सा०)/१७ दिनांक २८ मई २०१८ के क्रम में प्रदेश में महिला शक्ति केन्द्र योजनानार्तगत जनपद में डी०एल०सी०डब्ल० हेतु तीन कार्मिकों (सर्विदा पद) का चयन किया जाना है। जिनमें से ०१ वूमेन वैलफेयर आफीसर तथा ०२ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का चयन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पूर्व में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

| क्र० सं० | पद का नाम | पदों की संख्या | नियत मानदेश (प्रतिमाह रु०) | पदों की प्रकृति | आयु सीमा अधिकतम ०१.०७.२०१८ को | अहता/योग्यता |
|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | महिला कल्याण अधिकारी (वूमेन वैलफेयर आफीसर) | ०१ | ३५,०००/- | सर्विदा | ३५ वर्ष से अधिक नहीं | <ul style="list-style-type: none"> १. कला और समाज विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर / महिलाओं पर केन्द्रित कार्यान्वयित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों की समझ के साथ समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर। २. स्थानीय भाषा / लहजे में बात करने में समझ होना और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रभावी रूप से बातालाप करने की सक्षम होना। ३. सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ कार्य करने का पूर्व अनुभव होना। ४. सूचना लेखन तथा एम०आई०एस० के लिये कम्प्यूटर में दक्षता होना। ५. महिला एवं जिले की निवासी को वरीयता। |
| २ | जिला समचयक, (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर) | ०२ | २०,०००/- | सर्विदा | ३५ वर्ष से अधिक नहीं | <ul style="list-style-type: none"> १. कला और समाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य का किसी अन्य सम्बन्धित क्षेत्र में रानातक होना। २. जिले में महिलाओं सम्बन्धी मामलों में पूर्जलप दक्ष होना। ३. कम्प्यूटरों में कार्य करने की क्षमता होना। ४. महिला एवं जिले की निवासी को वीरयता। |

१. उपरोक्त पदों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
२. सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजेंगे।
३. आवेदन पत्र का प्रारूप बेवसाइट <http://ghaziabad.nic.in> पर उपलब्ध है।
४. समस्त शैक्षिक/अनुभव एवं अन्य अहंताओं आदि का उल्लेख करते हुये उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
५. आवेदन प्राप्त करने की अनितम तिथि दिनांक १२.११.२०१८ की सौंदर्य ०५ बजे तक है। समस्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
६. आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
७. पृथक्-पृथक् पद के लिये पृथक्-पृथक् आवेदन करें।
८. साक्षात्कार हेतु आने जाने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
९. विभाग द्वारा मैं विलम्ब के कारण साक्षात्कार के बुलावा पत्र देशी से प्राप्त होने/प्राप्त नहीं होने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
१०. चयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में गठित चयन समिति का नियंत्रण अनितम एवं मानव होगा।
११. चयन प्रक्रिया को किसी भी घरण/स्तर पर निररत्त करने का अधिकार जिलाधिकारी गाजियाबाद का होगा।
१२. साक्षात्कार हेतु अपना नाम व पता लिखा हुआ एक लिफाफा अवश्य संलग्न करें।
१३. आवेदन पत्र कार्यालय जिला प्रोवेशन अधिकारी कमरा न०-१२३ विकास भवन कलेक्टरेट कम्पाउण्ड गाजियाबाद के पते पर भेजे जायेंगे।
१४. चयन प्रक्रिया के बाद चयनित अभ्यार्थियों को ही चयन की सूचना भविष्य में पंजीकृत डाक के माध्यम से दी जायेगी।

(विकास बन्द्र)
जिला प्रोवेशन अधिकारी
गाजियाबाद

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद

पत्रांक C.८२१ / प्रो०का० / म०श०के० / विज्ञप्ति / 2018-19 दिनांक २५ अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक महिला कल्याण उ० प्र० लखनऊ।
- 3- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मेरठ मण्डल मेरठ।
- 4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप एन०आई०सी० की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5- उप निदेशक, सूचना, गाजियाबाद को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति सरकारी दरों पर समाचार पत्र अमर उजाला में गाजियाबाद के संरकरण में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

JMO २५/१०/१८
जिला प्रोबेशन अधिकारी
गाजियाबाद

**महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत महिला कल्याण अधिकारी एवं जिला समन्वयक
(संविदात्मक पद) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

जनपद का नाम:-

पद कोड़:-

आवेदित पद का नाम:-

अभ्यर्थी का नाम-

पिता/पति का नाम:-

माता का नाम:-

जन्म तिथि:-

(अंकों/शब्दों में)

आयु:-

लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)

जाति (सामान्य/आरक्षित)

राष्ट्रीयता-

ई.मेल.आई.डी. (यदि कोई हो)

पत्राचार का पता-

स्वप्रमाणित फोटो
चस्पा करें।

स्थाई पता-

दूरभाष नं०-

1-शैक्षिक अर्हता (हाई स्कूल से प्रारम्भ):—(सभी सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

| क्र०सं० | शैक्षिक योग्यता | विश्वविद्यालय/संस्था | विषय | उत्तीर्ण वर्ष | ओणी |
|---------|-----------------|----------------------|------|---------------|-----|
| 1 | हाई स्कूल | | | | |
| 2 | इन्टरमिडिएट | | | | |
| 3 | स्नातक | | | | |
| 4 | परास्नातक | | | | |
| 5 | कम्यूटर दक्षता | | | | |
| 6 | अन्य | | | | |

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र तथा इसके अनुलग्नकों में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गये समस्त सूचना/अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैं यदि देता/देती हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना भविष्य में किसी भी समय पर मिथ्या/असत्य/कूटरचित्त पाई जाती है तो इससे आवेदित पद के लिये अपात्र हो जाऊँगा/जाऊँगी।

दिनांक:-

स्थान'-

अनुलग्नक -

1- समस्त शैक्षिक योग्यता की रच प्रमाणित प्रति

2- अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति

3- अन्य कोई अभिलेख जो आवश्यक हो।

हस्ताक्षर/आवेदनकर्ता का नाम/पता